अध्याय–I: सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0स0) के राजस्व प्राप्तियों के रूझान, दोनों कर एवं करेतर तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों के पृष्ठभूमि के विरूद्ध संग्रह के लिए लम्बित राजस्व के बकाये के विहंगावलोकन को प्रदर्शित करता है।

1.2 प्राप्तियों का रुझान

1.2.1 वर्ष 2018–19 के दौरान उ0प्र0स0 द्वारा उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश, भारत सरकार (भा0स0) से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **सारणी–1.1** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–1.1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	74,172.42	81,106.26	85,965.92	97,393.00	1,20,121.86
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**11.40**	**9.35**	**5.99**	**13.29**	**23.34**
	• करेतर राजस्व	19,934.80	23,134.65	28,944.07	19,794.86	30,100.71
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**21.19**	**16.05**	**25.11**	**(–)31.60**	**52.06**
	योग	**94,107.22**	**1,04,240.91**	**1,14,909.99**	**1,17,187.86**	**1,50,222.57**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	66,622.91	90,973.69	1,09,428.29	1,20,939.14	1,36,766.46[1]
	• सहायता अनुदान	32,691.47	31,861.34	32,536.87	40,648.45	42,988.48[2]
	योग	**99,314.38**	**1,22,835.03**	**1,41,965.16**	**1,61,587.59**	**1,79,754.94**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**1,93,421.60**	**2,27,075.94**	**2,56,875.15**	**2,78,775.45**	**3,29,977.51**
4	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**49**	**46**	**45**	**42**	**46**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

ऊपर की सारणी यह इंगित करती है कि 2014–19 की अवधि के दौरान कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की औसतन वार्षिक वृद्धि क्रमशः 12.67 प्रतिशत एवं 16.56 प्रतिशत रही थी।

---

1 विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2018–19 के वित्त लेखों में लघु शीर्षो द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–14 देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में 'अ – कर राजस्व' के अन्तर्गत मुख्य लेखा शीर्ष–0005–केंद्रीय माल एवं सेवा कर, 0008–एकीकृत माल एवं सेवा कर, 0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028–आय तथा व्यय पर अन्य कर, 0032–धन पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044– सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क, लघु शीर्ष–901–राज्यों के समुदेशित शुद्ध प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा 'विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से' में शामिल किया गया है।

2 माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिये ₹ 308 करोड़ की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है।

वर्ष 2018–19 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों के अलग–अलग विवरण को प्रतिशतता के रूप में **चार्ट–1.1** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट–1.1

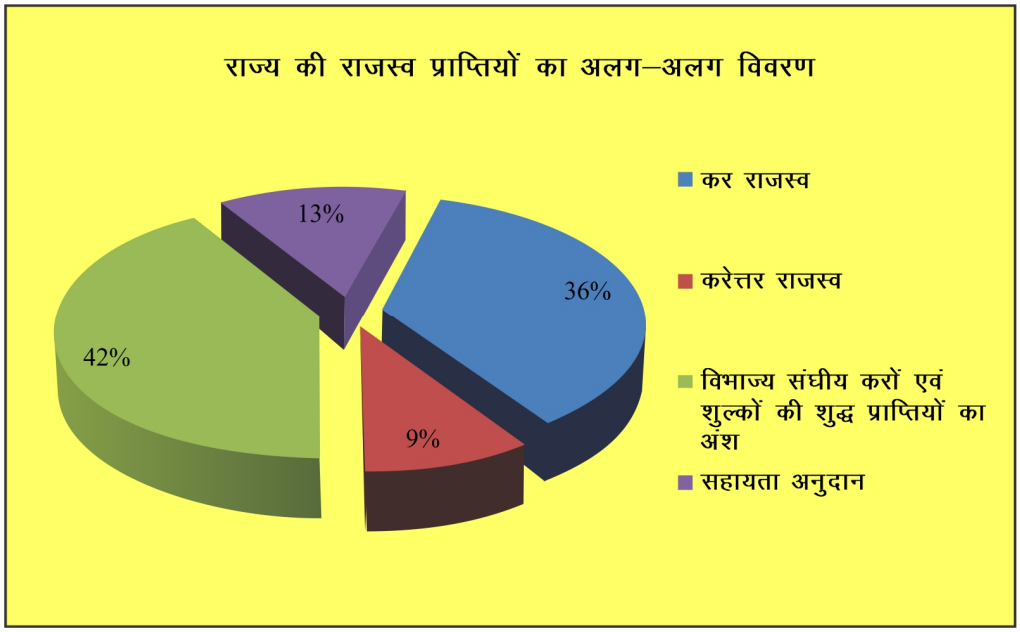

1.2.2 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान उगाहे गये कर राजस्व के विवरण **सारणी–1.2** में दिये गये हैं।

सारणी–1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	की तुलना में वर्ष 2018–19 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2018–19 के ब0अ0	2017–18 के वास्तविक
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	47,497.92 42,931.54	52,670.69 47,692.40	57,940.30 51,882.88	36,397.30 31,112.52	22,078.00 23,797.84	(+) 7.79	(–) 23.51
	राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0)				28,602.70 25,373.96	49,422.00 46,108.03	(–) 6.71	(+) 81.71[3]
2	राज्य आबकारी	14,500.00 13,482.57	17,500.00 14,083.54	19,250.00 14,273.49	20,593.23 17,320.27	23,000.00 23,926.66	(+) 4.03	(+) 38.14
3	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	12,722.67 11,803.34	14,836.00 12,403.72	16,319.60 11,564.02	17,458.34 13,397.57	18,000.00 15,733.03	(–) 12.59	(+) 17.43
4	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	3,950.00 3,797.58	4,658.00 4,410.53	5,123.80 5,148.37	5,481.20 6,403.69	7,400.00 6,930.02	(–) 6.35	(+) 8.22
5	अन्य[4]	2,327.34 2,157.39	2,250.31 2,516.07	2,622.80 3,097.16	2,969.13 3,784.99	2,800.00 3,626.28	(+) 29.51	(–) 4.19
योग		**80,997.93 74,172.42**	**91,915.00 81,106.26**	**1,01,256.50 85,965.92**	**1,11,501.90 97,393.00**	**1,22,700.00 1,20,121.86**	**(–) 2.10**	**(+) 23.34**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विवरण के अनुसार बजट अनुमान।

[3] वर्ष 2017–18 में नौ महीने (जुलाई 2017 से मार्च 2018) के सापेक्ष वर्ष 2018–19 में रा0मा0से0क0 संग्रह पूरे वर्ष का था।

[4] निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं: विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्ति कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क आदि ।

वर्ष 2018–19 में कर राजस्व के अलग–अलग विवरण को **चार्ट–1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट–1.2

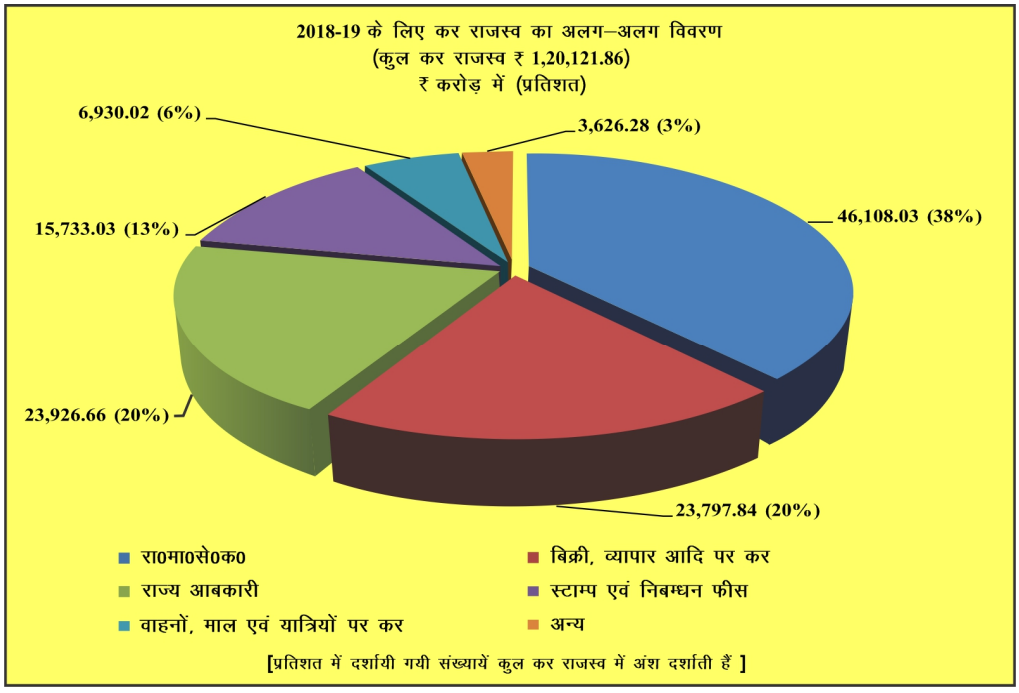

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2018–19 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2018–19 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में कुल 23.34 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः 'राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0)' (₹ 20,734.07 करोड़ द्वारा), 'राज्य आबकारी' (₹ 6,606.40 करोड़ द्वारा), 'स्टाम्प एवं निबन्धन फीस' (₹ 2,335.46 करोड़ द्वारा) तथा 'वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर' (₹ 526.33 करोड़ द्वारा) के कारण थी।

- बिक्री, व्यापार आदि पर कर में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान 7,314.68 करोड़ की कमी हुई क्योंकि यह कर माल एवं सेवा कर (मा0से0क0) में समाहित कर दिया गया था जो कि 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित किया गया था। तथापि, वर्ष 2018–19 के दौरान रा0मा0से0क0 के संग्रहण में ₹ 20,734.07 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2018–19 में रा0मा0से0क0 का संग्रह पूरे वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2017–18 में नौ महीने (जुलाई 2017 से मार्च 2018) का था। बढ़े हुए रा0मा0से0क0 का मुख्य कारण एकीकृत माल एवं सेवा कर (ए0मा0से0क0) से हस्तांतरण/अग्रिम विभाजन द्वारा प्राप्तियों में वृद्धि तथा रा0मा0से0क0 एवं ए0मा0से0क0 के इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रति उपयोग था।

- 'राज्य आबकारी' में वृद्धि देशी आसव (₹ 2,722.39 करोड़ द्वारा), विदेशी मदिरा एवं आसव (₹ 2,659.98 करोड़ द्वारा) एवं माल्ट मदिरा (₹ 1,474.67 करोड़ द्वारा) की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई। राज्य आबकारी राजस्व में वृद्धि का कारण देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) तथा बीयर के उपभोग में वृद्धि, आबकारी शुल्क के आरोपण में वृद्धि तथा देशी मदिरा, भा0नि0वि0म0, बीयर एवं माडल शाप से सम्बन्धित दुकानों के व्यवस्थापन में वृद्धि थी।

- 'स्टाम्प एवं निबन्धन फीस' के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री (₹ 4,084.38 करोड़) से प्राप्तियों में वृद्धि तथा न्यायिक स्टाम्प की कम

बिक्री (₹ 1,616.37 करोड़) के निवल प्रभाव से हुई। न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि गत वर्ष में पंजीकृत 30.77 लाख अभिलेखों/विलेखों के सापेक्ष वर्ष 2018–19 में 35.81 लाख अभिलेखों/विलेखों के पंजीयन के कारण हुई।

- 'विद्युत पर कर एवं शुल्क' की प्राप्तियों में वृद्धि (वर्ष 2017–18 में ₹ 2,124.13 करोड़ से वर्ष 2018–19 में ₹ 2,978.22 करोड़) विद्युत की बिक्री एवं उपभोग पर अधिक कर संग्रहण (₹ 738.10 करोड़) के कारण हुई।

1.2.3 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान उगाहे गये करेतर राजस्व के विवरण **सारिणी–1.3** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–1.3
करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	की तुलना में वर्ष 2018–19 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2018–19 के ब0अ0	2017–18 के वास्तविक
1	विविध सामान्य सेवायें	4,037.81 6,400.41	4,774.00 4,949.22	4,220.61 4,460.40	4,502.00 4,841.11	12,758.33 13,677.57	(+) 7.21	(+) 182.53
2	ब्याज प्राप्तियाँ	1,434.90 2,302.82	1,000.00 632.78	750.00 1,164.94	800.00 1,093.38	843.60 1,712.44	(+) 102.99	(+) 56.62
3	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,100.00 1,029.42	1,500.00 1,222.17	1,650.00 1,548.39	3,200.00 3,258.88	4,000.00 3,165.44	(–) 20.86	(–) 2.87
4	बिजली	2,700.00 967.87	2,700.00 1,322.17	2,700.00 2,938.85	4,448.34 4,695.85	5,700.00 5,735.40	(+) 0.62	(+) 22.14
5	अन्य करेतर प्राप्तियाँ[5]	10,959.24 9,234.28	11,662.32 15,008.31	10,959.24 18,831.49	5,486.37 5,905.64	5,519.73 5,809.86	(+) 5.26	(–) 1.62
योग		**20,231.95** **19,934.80**	**21,636.32** **23,134.65**	**24,240.85** **28,944.07**	**18,436.71** **19,794.86**	**28,821.66** **30,100.71**	**(+) 4.44**	**(+) 52.06**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विस्तृत विवरण बजट अनुमान के अनुसार।

वर्ष 2018–19 में करेतर राजस्व का अलग–अलग विवरण **चार्ट–1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट–1.3

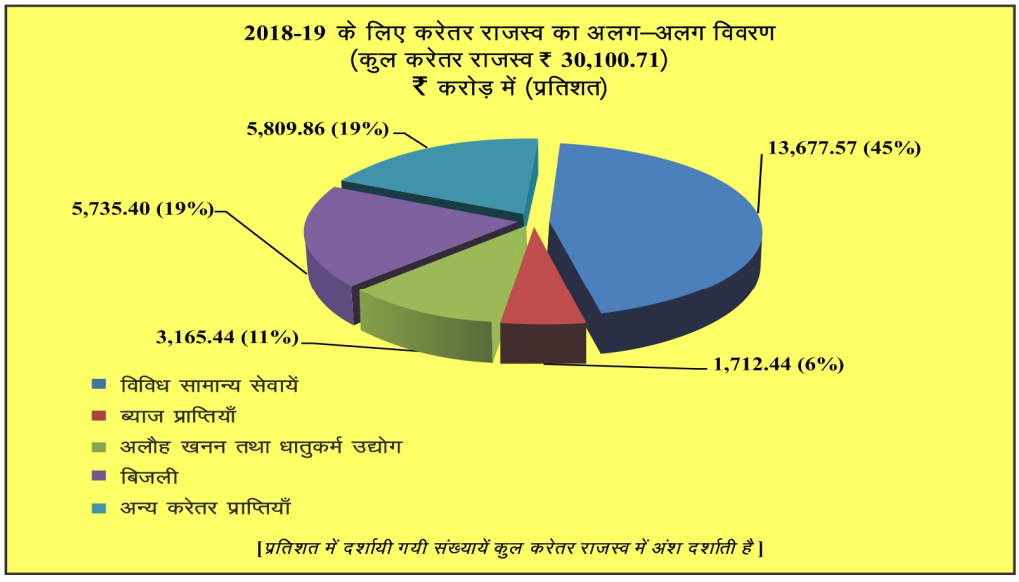

[5] अन्य में निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैः आवास, लोक निर्माण, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, सड़क एवं सेतु, अन्य प्रशासनिक सेवायें, मध्यम सिंचाई, ग्राम्य एवं लघु उद्योग, वानिकी एवं वन्य प्राणि, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, शहरी विकास, आदि।

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2018–19 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2017–18 के सापेक्ष वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 10,305.85 करोड़ करेतर प्राप्तियों में कुल मिलाकर 52.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई, मुख्यतः 'ब्याज प्राप्तियाँ' शीर्ष के अन्तर्गत जो कि चीनी मिलों के ऋण से वसूला ज्यादा ब्याज तथा नकद अवशेषों के विनिवेश के कारण तथा 'विविध सामान्य सेवायें' के अन्तर्गत जो कि मुख्यतः 2017–18 के सापेक्ष वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 8,271.28 करोड़ के सिंकिंग फण्ड से इस शीर्ष में अधिक अन्तरण के कारण था।

- राजस्व लेखा शीर्ष 'बिजली' के अन्तर्गत 22.14 प्रतिशत की वृद्धि का कारण भा0स0 से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऊर्जा विभाग, उ0प्र0स0 को अधिक प्राप्तियाँ थी।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018–19 के दौरान राजस्व के विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता पायी (सन्दर्भ सारणी–1.2 एवं 1.3) जो इंगित करता है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

संस्तुतिः

वित्त विभाग को अपने बजट अनुमानों को और अधिक यथार्थवादी बनाने हेतु अपनी बजट तैयार करने की विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिये।

1.3 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2019 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों का राजस्व बकाया की धनराशि ₹ 30,285.43[6] करोड़ थी, जिसमें से ₹ 13,129.57[7] करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक का था। विभागों द्वारा जैसा विवरण उपलब्ध कराया गया **चार्ट–1.4** में प्रदर्शित है।

चार्ट–1.4

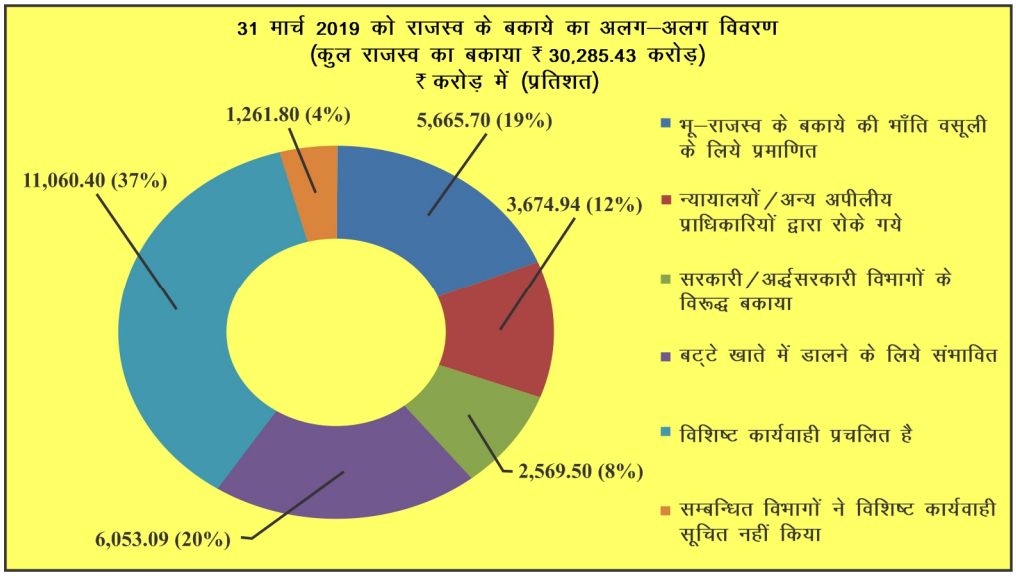

2018–19 की समाप्ति पर कुल राजस्व बकाया ₹ 30,285.43[8] करोड़ राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 1,50,222.57 करोड़) का 20 प्रतिशत था जिसमें 43 प्रतिशत

---

6 बिक्री, व्यापार आदि पर करः ₹ 28,987.75 करोड़; स्टाम्प एवं निबन्धन फीसः ₹ 654.73 करोड़; वाहनों, माल एवं यात्रियों पर करः ₹ 108.34 करोड़; राज्य आबकारीः ₹ 54.57 करोड़; मनोरंजन करः ₹ 480.04 करोड़; भूतत्व एव खनिकर्म विभागः विभाग के पास आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।

7 बिक्री, व्यापार आदि पर करः ₹ 12,668.82 करोड़; स्टाम्प एवं निबन्धन फीसः ₹ 399.22 करोड; वाहनों, माल एवं यात्रियों पर करः विभाग के पास आँकड़े उपलब्ध नहीं थे; राज्य आबकारीः ₹ 51.41 करोड़; मनोरंजन करः ₹ 10.12 करोड; भूतत्व एव खनिकर्म विभागः विभाग के पास आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।

8 भूतत्व एव खनिकर्म विभागः को छोड़कर।

(₹ 13,129.57[9] करोड़) पिछले पाँच या अधिक वर्षों से वसूली हेतु बकाया था। यह राज्य में शिथिल राजस्व प्रशासन एवं अनुपालनहीनता का सूचक है। बकाये की मात्रा अनावश्यक रूप से अधिक है जिसकी वसूली हेतु ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

छः विभागों[10] में से केवल दो विभागों[11] ने लम्बित वसूली को विभिन्न चरणों में होना सूचित किया, परन्तु लम्बित बकाया से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराये। अग्रेतर, विभागों[12] ने अदत्त बकाये का कोई केन्द्रीकृत डेटाबेस नहीं बनाया था। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर सम्बन्धित विभागों द्वारा अदत्त बकाये के आंकड़ों को प्रतिवर्ष क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित किया गया था।

राजस्व के बकाये के बकायेदारों के अध्ययन हेतु, लेखा परीक्षा ने वाणिज्य कर विभाग (वा0क0वि0) द्वारा उपलब्ध कराये गये 200 बड़े बकायेदारों, जिसमें ₹ 4,479.19 करोड़ का राजस्व बकाया सन्निहित था, की नमूना जाँच की। इन 200 मामलों में से, 168 बकायेदारों के मामले में निहित राजस्व बकाया ₹ 3,960.13 करोड़ जो चार संभाग यानी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर एवं लखनऊ से सम्बन्धित थे, विस्तृत अध्ययन हेतु चयनित किये गये। अध्ययन से पता चला किः

i. बकायेदारों के चयनित 168 मामलों में सें 160 मामले जिसमें ₹ 3,794.75 करोड़ (96 प्रतिशत) का राजस्व बकाया सन्निहित था, में पाया गया कि व्यापारियों के उपस्थित न होने के कारण कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किये गये थे।

ii. बकायेदारों के 92 मामले जिसमें ₹ 2,837.83 करोड़ (72 प्रतिशत) का राजस्व बकाया सन्निहित था, में पाया गया कि वसूली विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों/न्यायालय के समक्ष लम्बित थी।

iii. दो बकायेदारों के मामलों में, पाया गया कि प्रत्येक मामले में दो बार वसूली प्रमाणपत्र (व0प्र0) निर्गत किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप बकाये की सूची में ₹ 35.48 करोड़ के राजस्व बकाये का दोहराव हुआ।

iv. पाँच बकायेदारों के मामले जिसमें ₹ 86.69 करोड़ धनराशि के व0प्र0 सन्निहित थे, अपीलीय प्राधिकारियो द्वारा रिमांड किये जाने अथवा व्यापारियों के प्रार्थना पत्र पर मामले पुनः खोले गये लेकिन बकाये की सूची मे व0प्र0 प्रदर्शित हो रहे थे।

v. दो बकायेदारों के मामलों में, ₹ 29.11 करोड़ के व0प्र0 अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा व्यापारियों के पक्ष में निर्णीत हो जाने के बाद भी चार वर्ष से अधिक समय से खारिज किये जाने के लिए लम्बित थे और ये बकाये की सूची में प्रदर्शित हो रहे थे।

vi. एक बकायेदार के मामले में, कर निर्धारण आदेश में गणना की त्रुटि के कारण ₹ 75.60 करोड़ का अधिक राजस्व बकाया दर्शाया गया था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि राजस्व बकाये का एक बड़ा प्रतिशत अपील में था और लंबित था। यह भी देखा गया कि राजस्व के बकाया पर वा0क0वि0 द्वारा बनाये गये डेटाबेस में अनेक कमियाँ थी जो डेटा की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करती हैं। खराब डेटा गुणवत्ता अनुश्रवण तथा वसूली को प्रभावित करेगा।

---

9 परिवहन विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को छोड़कर।

10 वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

11 वाणिज्य कर तथा राज्य आबकारी।

12 वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

संस्तुतिः

विभागों को लम्बित बकाये हेतु एक ऐसा केन्द्रीकृत डेटाबेस बनाना चाहिए जो डेटा की विश्वसनीयता के मुद्दे को संबोधित करे तथा बकाये की प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी करे। बकाये के संचय के कारणों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए एवं बकाये के संचय के अग्रेतर रोकथाम के लिये तंत्र/प्रक्रियाएं विकसित की जानी चाहिए।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। नि0म0ले0प0 के 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल 36 प्रस्तरों (निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित) पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विभागों के उत्तर) को देने में, अत्यधिक विलम्ब देखा गया जो कि 193 दिनों से 809 दिनों के मध्य था। इसके अलावा, वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (सितम्बर 2020) जिन्हें अगस्त 2015 और फरवरी 2020 के मध्य राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण **सारिणी–1.4** में दिया गया है।

सारिणी–1.4

क्र0 सं0	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष	विधान मण्डल में प्रस्तुत होने की तिथि	प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2014	17 अगस्त 2015	43	36[13]	07
2	31 मार्च 2015	06 मार्च 2016	31	00	31
3	31 मार्च 2016	18 मई 2017	26	00	26
4	31 मार्च 2017	19 जुलाई 2019	15	00	15
5	31 मार्च 2018 (अकेले, राज्य आबकारी)	19 जुलाई 2019	08	00	08
6	31 मार्च 2018	24 फरवरी 2020	17	00	17
योग			**140**	**36**	**104**[14]

वर्ष 2018–19 में, लो0ले0स0 द्वारा वर्ष 2001–02, 2007–08 तथा 2010–11 से 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 47[15] चयनित प्रस्तरों पर चर्चा की गई। तथापि, इन प्रस्तरों से सम्बन्धित कार्यवाही आख्या (का0आ0) सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2020)। वर्ष 2014–15 से 2017–18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लो0ले0स0 की बैठकों में चर्चा नहीं की गई।

---

[13] वाणिज्य कर (11 प्रस्तरों), राज्य आबकारी (06 प्रस्तरों), परिवहन (10 प्रस्तरों), भूतत्व एवं खनिकर्म (06 प्रस्तरों) तथा मनोरंजन कर (03 प्रस्तरों)।

[14] वाणिज्य कर (24 प्रस्तरों), राज्य आबकारी (22 प्रस्तरों), परिवहन (19 प्रस्तरों), स्टाम्प एवं निबन्धन (16 प्रस्तरों), भूतत्व एवं खनिकर्म (18 प्रस्तरों) तथा मनोरंजन कर (05 प्रस्तरों)।

[15] वाणिज्य कर (04 प्रस्तरों), राज्य आबकारी (03 प्रस्तरों), परिवहन (19 प्रस्तरों), स्टाम्प एवं निबन्धन (04 प्रस्तरों), भूतत्व एवं खनिकर्म (14 प्रस्तरों) तथा मनोरंजन कर (03 प्रस्तरों)।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

शासन/विभागों एवं कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, लेखापरीक्षा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को, उनके उच्च अधिकारियों को एक प्रति के साथ सुधारात्मक कार्यवाही एवं उनकी निगरानी करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्र0) निर्गत करता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

मार्च 2019 तक जारी नि0प्र0 की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि जून 2019 के अन्त तक 12,044 नि0प्र0 से सम्बन्धित 44,545 प्रस्तर लम्बित थे। इन नि0प्र0 में प्रकाश में लाया गया प्रभावी वसूली योग्य राजस्व ₹ 11,533.96 करोड़ है, जबकि राज्य का कुल राजस्व संग्रह ₹ 1,50,222.57 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित विभागवार विवरण **सारिणी–1.5** में दिया गया है।

सारणी–1.5
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि0प्र0 की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,857	25,718	3,953.42
		मनोरंजन कर	201	474	22.45
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी	974	1,863	1,145.92
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,412	6,298	2,289.00
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	3,365	9,042	2,470.53
5	भूतत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	235	1,150	1,652.64
योग			**12,044**	**44,545**	**11,533.96**

यहाँ तक कि, नि0प्र0 प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त होने वाले अपेक्षित प्रथम उत्तर, समय से प्राप्त नहीं हुए। वर्ष 2018–19 के दौरान जारी किये गये 243 नि0प्र0 में से, लेखापरीक्षा को कार्यालयाध्यक्षों से सात नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर छः माह के अन्दर तथा 21 नि0प्र0 के मामले में छः माह के बाद प्राप्त हुआ। वर्ष 2018–19 के दौरान निर्गत शेष 215 नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। नि0प्र0 का इतनी बड़ी संख्या में लम्बित होना एवं विभागों से प्रथम उत्तर प्राप्त न होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निरीक्षित इकाईयों के प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष का संज्ञान लेने एवं इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठाने में असफल रहे हैं। समान प्रकृति की अनियमिततायें वर्ष प्रतिवर्ष प्रतिवेदित की जा रही हैं फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति/किसी सुधारात्मक कार्यवाही के कोई साक्ष्य जमीनी स्तर पर दृष्टव्य नहीं हैं। इसने लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र आरम्भ करना चाहिए कि विभागीय अधिकारी नि0प्र0 पर त्वरित प्रतिक्रिया दें, सुधारात्मक कार्यवाही करें एवं नि0प्र0 के शीघ्र निस्तारण के लिये लेखापरीक्षा के साथ मिलकर काम करें।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2018–19 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के छः विभागों[16] को समाविष्ट किया तथा बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, मनोरंजन कर एवं खनन प्राप्तियाँ से सम्बन्धित 1,556 लेखापरीक्षण योग्य इकाईयों में से 245 (16 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। वर्ष 2017–18 के दौरान इन छः विभागों में ₹ 97,172.11 करोड़ राजस्व संग्रहीत किया गया, जिसमें से 245 लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 28,550.28[17] करोड़ संग्रहीत किया। 245 लेखापरीक्षित इकाईयों में, टर्नओवर/कर भुगतान के आधार पर अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी जिससे 52,956 मामलों में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि से सम्बन्धित कुल ₹ 4,151.75 करोड़ के मामले पाये गये जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा विभागों को प्रतिवेदित किया गया था। इसमें से सम्बन्धित विभागों ने (अप्रैल 2019 एवं अगस्त 2020 के मध्य) 35 मामलों में ₹ 99.05 लाख़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया और 17 मामलों में ₹ 18.43 लाख़ की वसूली को प्रतिवेदित किया। अग्रेतर, वर्ष 2018–19 से पूर्व प्रतिवेदित किये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा (अक्टूबर 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य)[18] 185 मामलों में ₹ 67.99 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया और 116 मामलों में ₹ 6.85 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को एक तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभागों द्वारा स्वीकृत सभी अवनिर्धारण/कम आरोपण की वसूली विभागों द्वारा की जाए।

1.7 प्रतिवेदन के इस भाग का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा एवं विगत वर्षों के ऐसे प्रस्तर जो पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, के 23 प्रस्तर शामिल हैं, जिनमें ₹ 1,881.32 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

विभागों ने ₹ 36.91 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है तथा ₹ 1.93 करोड़ की वसूली की है। इसकी चर्चा अनुवर्ती अध्यायों–II से VI में की गयी है।

इंगित की गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। **इसलिए यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शासन/विभाग सभी इकाईयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।**

---

16 वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

17 वाणिज्य कर विभाग मा0से0क0 लागू होने के पश्चात इकाईवार राजस्व संग्रह लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करा सका और इसलिए इस धनराशि में विभाग की लेखापरीक्षित इकाईयों का राजस्व सम्मिलित नहीं है।

18 वर्ष 2018–19 से पूर्व के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019 तक की अवधि के दौरान विभागों द्वारा सूचित स्वीकृति/वसूली को वर्ष 2017–18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया जा चुका है।